फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

...गैरा बनाम व्यवस्थापक, ग्रा.से.सह.समिति, खींपर वगैरा

मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 289/17 सन् 2017

...रीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.12.17	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री घमण्डाम सारण द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि मौजा खींपर पटवार मण्डल खींपर तहसील बायतु के खसरा नम्बर 502, 503 रकबा कमशः 00.04, 70.09 बीघा आई हुई है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण भवन का निर्माण करने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 18/01/2018 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा खींपर पटवार मण्डल खींपर तहसील बायतु के खसरा नम्बर 502, 503 रकबा कमशः 00.04, 70.09 बीघा की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार भवन तथा जी.एस.एस. का निर्माण नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 18/01/2018 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	स्थगन 312 18/12/17

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 13:52:26 IST
Reason: SelfAttested

रा० आवे० न० 289/17 मिनजान - ईसाराम V/s व्यवस्थापक ग्राम...

21/12/17

विपार्थीगण संख्या 1 व 3 की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते लेने प्रमाणित पेशी पर आज पेश किया गया। विपार्थी संख्या 1 व 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब की गई, विपार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा वकालातनामा मय जवाब पेश किया गया तथा विपार्थीगण संख्या 2 ~~की ओर~~ के सहायक अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि० बायतु उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता की बहस विपार्थीगण संख्या 1 व 3 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई विपार्थीगण वकील द्वारा बताया की प्रार्थीगणों द्वारा दिनांक 15/12/17 को मौजा खींपर पटवार मण्डल खींपर तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर-क्रमश 502, 503 रकबा क्रमश 00.04, 70.09 बीघा भूमि के सम्बन्ध में एकतरफा स्थगन प्राप्त किया गया, प्रार्थीगण उक्त स्थगन की आड़ में उक्त खसरों से लगता हुआ खसरा नम्बर-760/392 रकबा-0.15 बीघा भूमि किस्म गै० मु० भवन की आई हुई है जो वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० खींपर के नाम खातेदारी में दर्ज है जिसमें कार्यालय एवं गोदाम निर्माण हेतु 10.00 लाख रुपये बजट स्वीकृत किया गया। बजट अनुसार कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्यालय एवं गोदाम निर्माण करवाया जा रहा है। जो हल्का पटवारी द्वारा पैमाईश करवाकर ग्राम सेवा सहकारी समिति के नाम आवंटित भूमि के खसरे के अन्दर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है इसी प्रकार विपार्थीगण संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया...

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 13:52:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (SDO), बायतु

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रा० आवे० सं०-289/17 उनवान- ईसाराम V/s जवाबदेह G.S.S. खींवसर	
	किया कि ग्राम खींवसर के खसरा नम्बर- 502, 503 के लगता हुआ खसरा नम्बर- 813/392 आया हुआ है। जो वर्तमान में जो० वि० वि० नि० लि० 33/11 केवी सब स्टेशन खींवसर के नाम रकबा-1.10 बीघा भूमि दर्ज है जिसमें हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान करवाया जाकर उक्त आवंटन भूमि के अन्दर निर्माण करवाया जा रहा है। हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान ~~रिपोर्ट~~ किये गये कि सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न प्रस्तुत की गई। सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर- 502, 503 का खसरा नम्बर- 813/392 व खसरा नम्बर- 760/392 से कोई लेना देना नहीं है जबकि प्रार्थीगण खसरा नम्बर- 502 व 503 की आड़ में खसरा नम्बर- 813/392 व 760/392 में किये जा रहे कार्य को प्रभावित कर रहे हैं इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि उक्त खसरों के सम्बन्ध में प्रार्थीगण कोई किसी प्रकार का व्यवधान या बाधा उत्पन्न नहीं करें। अतः विपक्षीगण अधिवक्ता की बहस सुनने व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड तथा विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद ग्राम खींवसर पटवार मण्डल खींवसर के ख० न० 502, 503 व इसी ग्राम के ख० न० ~~के~~ 813/392 व ख० न० 760/392 के मध्य ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया है इसलिए ख० न० 813/392 व खसरा नम्बर- 760/392 में किये जा रहे निर्माण ~~से~~ ख० नम्बर- 502 व 503 के खातेदारों का खेत प्रभावित नहीं हो रहा है लिहाजा प्रार्थीगण विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के खसरा नम्बर 813/392 व 760/392 में किये जा रहे निर्माण कार्य में कोई किसी प्रकार का व्यवधान न करें। शेष स्थगन आदेश एवं आदेशानुसार यथावत रहेगा। पत्रावली नियत दिनांक 10/01/19 को पेश हो।	

बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 13:52:26 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23.6.2020	पत्रावली पेश हुई। वादी हाजिर। प्रार्थी धर्माराम ने मुकदमा 16/2017 Not Press किया है। चूंकि हाजा पत्रावली चलने योग्य नहीं होने से स्थगन व प्रार्थना पत्र खारिज किए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) 23.6.2020 उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला - बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 13:52:26 IST
Reason: SelfAttested